(अनवान पंकज कुमारी गोयल बनाम अजयन्त
राजस्व वाद संख्या :– 240 / 2023)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– नयन गौतम आई.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 240 / 2023

श्रीमती पंकज कुमारी गोयल पत्नी श्री ज्योति प्रकाश गोयल जाति अग्रवाल निवासी 18 ई ब्लॉक, श्रीगंगानगर हाल आबाद 1 बी 6 जवाहरनगर, श्रीगंगानगर (राजस्थान)

—वादी

बनाम

1. अजयन्त पुत्र शिवलाल जाति जाट निवासी चक 5 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
2. अनु नागपाल पत्नी श्री अनुज नागपाल जाति अरोड़ा निवासी 1 ई 15, सुखाड़ियानगर, श्रीगंगानगर (राज0)
3. अनुज पुत्र श्री पूर्णचन्द जाति अरोड़ा निवासी 1 ई 15, सुखाडियानगर, श्रीगंगानगर (राज0)
4. कृष्णा पुत्री जयमलराम जाति कुम्हार निवासी चक 5 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
5. गुड्डी पुत्री जयमलराम जाति जाट निवासी चक 5 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
6. गुरप्रीत सिंह पुत्र सुरजीत सिंह जाति खत्री निवासी चक 2 एलएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
7. गीता पुत्री जयमलराम जाति कुम्हार निवासी चक 5 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
8. चन्दू पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी चक 5 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
9. जगदीश पुत्र शिवलाल जाति जाट निवासी चक 5 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
10. जगदीश पुत्र तनसुख जाति सुनार निवासी चक 5 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
11. जगदीशलाल पुत्र श्री अमरदास जाति खत्री निवासी ज[illegible] (राज[illegible]
12. नन्दराम पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी चक 5 ई [illegible] तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.19 11:11:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

(अनवान पंकज कुमारी गोयल बनाम अजयन्त
राजस्व वाद संख्या :– 240 / 2023)

13. पृथ्वीराज पुत्र सूरजाराम जाति कुम्हार निवासी चक 5 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
14. प्रणाम सिंह पुत्र श्री बुटा सिंह जाति जटसिख निवासी चक 33 एच तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
15. पारी पुत्री जयमलराम जाति कुम्हार निवासी चक 5 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
16. बुटा सिंह पुत्र श्री गुरबचन सिंह जाति जटसिख निवासी चक 5 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
17. बलराम पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी चक 5 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
18. बलवन्त पुत्र श्री बृजलाल जाति जाट निवासी चक 5 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
19. बाबूलाल पुत्र श्री तनसुख जाति सुनार निवासी चक 5 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
20. भगवाना पुत्र नत्थू जाति जाट निवासी चक 5 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
21. भीमसैन पुत्र पूर्णचन्द जाति अरोड़ा निवासी 1 ई 15, सुखाड़िया नगर, श्रीगंगानगर (राज0)
22. मनीराम पुत्र श्री मामराज जाति जाट निवासी चक 5 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
23. माहेश्वरी पुत्री जयमलराम जाति कुम्हार निवासी चक 5 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
24. रामप्रताप पुत्र हनुमान जाति जाट निवासी चक 5 ई छोटी तह. व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
25. रामरख पुत्र श्री शिवलाल जाति जाट निवासी चक 5 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
26. रामलाल पुत्र श्री केसराराम जाति जाट निवासी चक 5 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
27. लिछमा पुत्री जयमलराम जाति कुम्हार निवासी चक [illegible] तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
28. सतीश पुत्र रामकुमार जाति गोयल निवासी जवाहरनगर, श्रीगंगानगर (राज0)
29. सुधीर पुत्र श्री बालमुकन्द जिन्दल जाति अग्रवाल नि[illegible] 182 विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.19 11:11:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

(अनवान पंकज कुमारी गोयल बनाम अजयन्त
राजस्व वाद संख्या :– 240/2023)

30. सुनील दत पुत्र जगदीशलाल जाति खत्री निवासी जोधपुर (राज0)
31. हेतराम पुत्र श्री तनसुख जाति सुनार निवासी चक 5 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
32. हरीश कुमार पुत्र श्री जगदीशलाल जाति खत्री निवासी जोधपुर (राज0)
33. हंसराज पुत्र श्री जयमलराम जाति कुम्हार निवासी चक 5 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
34. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

— प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री ऋषिपाल जोशी — वादी
2. पैरोकार राज श्रीगंगानगर — प्रतिवादी संख्या 34
3. प्रतिवादी संख्या 1 ता 33 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 13.09.2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से है कि चक 5 ई छोटी पटवार हल्का 4 एम एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) अंतिम चौसाला आधार सम्वत् 2075–2078 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 62/57 के मुरब्बा नम्बर 2 के किला नम्बर 5(0.240 है.), 6, 15, 16(प्रत्येक में 0.253 है.), 25(0.228 है.) = 1.227 है. नहरी कृषि भूमि व मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 1/1 (0.051 है.), 1/4(0.0446 है.), 2(0.240 है.), 3 से 6 (प्रत्येक में 0.253 है.), 7/1(0.226 है.), 8(0.240 है.), 9/2(0.063 है.), 10(0.240 है.), 11(0.253 है.), 13/1(0.051 है.), 14/1(0.098 है.), 15(0.253 है.), 16/1(0.219 है.), 17/1(0.051 है.), 20(0.253 है.), 21(0.228 है.), 25/1(0.051 है.), 25/2(0.032 है.)= 3.6056 है. नहरी कुल 4.8326 है. नहरी कृषि भूमि में से वादीया पंकज कुमारी गोयल पत्नी ज्योति प्रकाश गोयल के नाम 1267/483260 हिस्सा यानि 0.01267 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक व शेष कृषि भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 33 के नाम जमाबन्दी मुताबिक राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 33 वाद पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित चक 5 ई छोटी के संयुक्त खाता संख्या 62/57 के मुरब्बा नम्बर 2 व 3 की कुल 4.8326 है. नहरी कृषि भूमि के खातेदार सहकाश्तकार है। वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 33 ने अपनी काश्त में सहूलियत के लिए अपने नाम दर्ज उक्त वर्णित कृषि भूमि का पारस्परिक सहमति से मौखिक सहमति से बंटवारा अनुसार वादीया पंकज कुमारी गोयल पत्नी ज्योति प्रकाश गोयल जाति अग्रवाल निवासी 18 ई ब्लॉक, श्रीगंगानगर (राज0) को चक 5 ई छोटी पटवार हल्का [illegible] तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) अंतिम चौसाला [illegible] सम्वत् 2075–2078 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या [illegible] के मुरब्बा नम्बर 2 व 3 की कुल 4.8326 है.नहरी कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर [illegible] 14/1 की 0.01267 है.(सड़क से चिपता कोर्नर हिस्सा) नहरी कृषि भूमि प्राप्त हुई तथा वादीया उक्त कृषि भूमि के काबिज काश्त है एवं शेष कृषि भूमि के प्रतिवादीगण संख्या 1 से 33 अपने अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Navin Gautam
Date: 2025.12.19 11:41:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

(अनवान पंकज कुमारी गोयल बनाम अजयन्त
राजस्व वाद संख्या :– 240 / 2023)

हिस्सा अनुसार काबिज काश्त है। वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 33 द्वारा पारस्परिक सहमति से मौखिक विभाजन अनुसार किए गए बंटवारा द्वारा अपने अपने हिस्सा में आई उक्त वर्णित कृषि भूमि के विगत कई वर्षो से काबिज काश्त है। प्रतिवादी संख्या 1 व 33 उक्त बंटवारा एवम् कब्जा काश्त को नजर अन्दाज करके मनमाना रवैया अपना कर उक्त कृषि भूमि को किसी अन्य को विक्रय करने की फिराक में है। यदि प्रतिवादीगण ऐसा करने में सफल हुए तो वादीया को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा तथा वादी द्वारा अपनी काश्त हेतु बनाई गई आवश्यक सुविधाओ से भी वादीया वंचित हो जायेगे। इस बंटवारा एवं कब्जा काश्त अनुसार वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 व 33 को प्राप्त हुई भूमि का विभाजन किया जाकर यानि अलग अलग लगान कायम करके राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जाना जरूरी है। उक्त पारस्परिक सहमति अनुसार किए गए बंटवारा एवं कब्जा काश्त अनुसार वादीया को प्राप्त हुई कृषि भूमि वादीया के नाम से अलग से दर्ज ना होने के कारण, वादी को राजस्व/लगान अदा करने व अपनी कृषि भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग करने में बाधा कारित हो रही है इसलिए वादीया अपने कब्जा काश्त की कृषि भूमि को, अपने नाम अलग से दर्ज करवाने व राजस्व/लगान अलग से कायम करवाने का अधिकारी है। वादी ने, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को सहमत होकर संयुक्त खाता की कृषि भूमि का विभाजन करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतू दिनांक 10/09/2023 को कहा तो प्रतिवादीगण टालमटोल हो गये है, यही बिनाय मुखास्मत है। वादीया के पास उक्त वाद पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। प्रतिवादी संख्या 34 लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष वाद कारण से अन्दर मियाद प्रस्तुत किया जा रहा है एवं श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है व 2 रु. के न्याय शुल्क पर पेश है। अतः वाद पत्र पेश करने निवेदन है कि वादीया का वाद पत्र, प्रतिवादीगण के खिलाफ स्वीकार किया जाकर दावा निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे :–

(क) कि चक 5 ई छोटी पटवार हल्का 4 डस तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) अंतिम चौसाला आधार सम्वत् 2075–2078 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 62/57 के मुरब्बा नम्बर 2 व 3 की कुल 4.836 है. नहरी कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 14/1 की 0.01267 है.(सड़क से चिपता कोर्नर हिस्सा) नहरी कृषि भूमि वादीया पंकज कुमारी गोयल पत्नी ज्योति प्रकाश गोयल का अलग लगान कायम किया जावे एवं शेष कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 33 का अलग लगान कायम किया जावे।

(ख) उक्त विभाजन अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे।

(ग) वादीया को खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

(घ) कि अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादीगण के हित में समझे दिलवाया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 33 की तलबी करवाने जाने पर प्रतिवादीगण के न्यायालय मे उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 1 से [illegible] एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

राज पैरोकार राज द्वारा स्टेट की ओर से स्टेट जवाब [illegible] गया। साक्ष्य वादी में वादीया पंकज कुमारी गोयल का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.19 11:11:18 IST
Reason: SelfAttested

Gautam
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

(अनवान पंकज कुमारी गोयल बनाम अजयन्त
राजस्व वाद संख्या :– 240/2023)

वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी द्वारा दोराने बहस निवेदन किया गया कि वादी द्वारा प्रकरण खाता विभाजन का प्रस्तुत किया गया है जिसमें वादी रिकॉर्डेड खातेदार हैं। प्रकरण में वादग्रस्त आराजी का तहसीलदार श्रीगंगानगर से जमाबन्दी अनुसार प्रस्ताव मंगवाया जावे। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखीय दस्तावेजात, वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2075–2078 चक 5 ई छोटी प्रथम, पटवार हल्का 4 एमएल भू.अ.नि.क्षेत्र. श्रीगंगानगर, खाता संख्या 62/57 के अवलोकन पश्चात् वादग्रस्त आराजी संयुक्त खाता की आराजी होने एवम् वादी भूमि का विभाजन करवाने के अधिकारी साबित होने से वाद वादी प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण में जरिए कमांक 5902 दिनांक 12.08.2025 के विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किया गया। वकील वादी द्वारा तहसीलदार श्रीगंगानगर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर अनापत्ति जाहिर करते हुए मुताबिक तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के वाद राष्ट्रीय लोक अदालत में डिकी किये जाने का निवेदन किया गया।

।। आदेश ।।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मुताबिक तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार स्वीकार किया जाकर पंकज कुमारी गोयल पत्नी ज्योति प्रकाश गोयल जाति अग्रवाल निवासी 18 ई ब्लॉक हाल 1 बी 6 जवाहर नगर श्रीगंगानगर को चक 5 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 62/57 के मुरब्बा नं. 2 व 3 की कुल 4.8326 हैक्टर में से मुरबा नम्बर 3 के किला नं. 14/1 में 0.098 में से 0.01267 हैक्टर (सड़क से चिपता कार्नर हिस्सा) का खातेदार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहे। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिकी हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋृण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 13.09.2025 में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(नयन गौतम)आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.19 11:11:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner